

रेलवे संरक्षा मिशन को पूरा करने के लिए संरक्षा अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है

मुख्य संरक्षा अधिकारी की इयूटी सूची

मुख्य संरक्षा अधिकारी संरक्षाविभाग का प्रमुख होता है। मुख्य संरक्षा अधिकारी निरीक्षण, निरीक्षणों की निगरानी, संरक्षाऑडिट और अन्य जाँचों के माध्यम से संरक्षाके संबंध में रेलवे पर परिचालन का ऑडिट करता है। सभी ऑडिट का विश्लेषण भी किया जाता है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है।

- रेलवे बोर्ड और सीआरएस को दुर्घटनाओं की सूचना देना
- दुर्घटना आंकड़ों का संकलन
- दुर्घटना जांच में रेलवे संरक्षाआयुक्त की सहायता करना
- दुर्घटना जांच की निगरानी करना तथा ऐसी जांच से उत्पन्न मामलों पर सिफारिशों और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुसरण करना तथा लगाए गए दंड की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।
- ट्रेनों के रखरखाव और संचालन में सुरक्षित प्रथाओं के लिए सभी विभागों के साथ संपर्क बनाए रखना तथा सभी विभागों को अवगत कराना।
- प्रशासन को इन क्षेत्रों में कमियों और खामियों के बारे में अवगत कराया
- रेलवे संरक्षाआयुक्त की निरीक्षण रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई
- संरक्षा की दृष्टि से, रेल सेवाओं के संचालन और रखरखाव से जुड़े सभी क्षेत्रों में सुपर-चेक का संचालन करना।
- लेवल क्रॉसिंग पर संरक्षा को बढ़ावा देना
- संरक्षापरिपत्रों और पोस्टरों की तैयारी और प्रसार
- संरक्षाअभियानों का आदेश देना और समन्वय करना
- रेलवे से बाहर की एजेंसियों के साथ बातचीत सहित आपदा प्रबंधन कार्यों के संबंध में समन्वय।

- वरिष्ठ अधिकारियों की बहु-विषयक टीम के साथ अंतर-रेलवे संरक्षाऑडिट का समन्वय और संचालन
- प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश और उनका अनुपालन।
- वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारियों की एक बहु-विषयक टीम के साथ अंतर-रेलवे संरक्षाऑडिट का समन्वय और संचालन तथा उसके अनुपालन की निगरानी करना।
- एसआईएमएस से संबंधित गतिविधि और संरक्षाकार्यों की प्रगति की निगरानी।
- कर्मचारियों की काउंसलिंग (संरक्षासेमिनार / कार्यशाला / बैठक / प्रशिक्षण)।
- पोस्टर, संरक्षापरिपत्र, हैंडबुक आदि का प्रकाशन।
- एसडब्ल्यूआर एवं अन्य नियम पुस्तकों का जारी करना/पुनर्वैधीकरण, सभी नियम पुस्तिकाओं के लिए दो, सुधार पत्रियां।
- संरक्षाड्राइव रिपोर्ट का संकलन और प्रस्तुतिकरण।
- एसआईएमएस (रेलवे बोर्ड वेबसाइट) से संबंधित गतिविधि को अपलोड करने के लिए संकलन।
- रेलवे बोर्ड की गूगल स्प्रेडशीट पर दैनिक संरक्षा गतिविधि अपलोड करना, संरक्षा की तैयारी
- रेलवे बोर्ड की प्रशंसा रिपोर्ट और निरीक्षण मॉड्यूल।
- एनडीआरएफ और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ पूर्ण पैमाने पर आपदा मॉक अभ्यास के संचालन के लिए समन्वय।
- पीक्यू और आरटीआई से निपटना।

उप मुख्य संरक्षा अधिकारी की ड्यूटी सूची

- वह एमएओ में संरक्षसंगठन कार्यालय के प्रभारी होंगे।
- दुर्घटना एवं पटरी से उतरने वाली जगह पर जाना।
- सीएसओ की अनुपस्थिति में रेलवे बोर्ड और रेलवे संरक्षाआयुक्त को दुर्घटनाओं की सूचना देना
- इंजीनियरिंग पर विशेष जोर देने के साथ संरक्षाप्रतिष्ठानों का संरक्षानिरीक्षण।
- कर्मचारियों की काउंसलिंग (संरक्षासेमिनार / कार्यशाला / बैठक / प्रशिक्षण)।
- पोस्टर, संरक्षापरिपत्र आदि का प्रकाशन।

- एसडब्ल्यूआर एवं अन्य नियम पुस्तकों का जारी करना/पुनर्विधीकरण, सभी नियम पुस्तिकाओं के लिए दो, सुधार पर्चियां।
- संरक्षाड्राइव रिपोर्ट का संकलन और प्रस्तुतिकरण।
- वरिष्ठ अधिकारियों की बहु-विषयक टीम के साथ अंतर-रेलवे संरक्षाऑडिट का समन्वय और संचालन
- प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश और उनका अनुपालन।
- वरिष्ठ अधिकारियों की बहु-विषयक टीम के साथ अंतर-रेलवे संरक्षाऑडिट का समन्वय और संचालन
- प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश और उनका अनुपालन
- एसआईएमएस (रेलवे बोर्ड वेबसाइट) से संबंधित गतिविधि को अपलोड करने के लिए संकलन।
- रेलवे बोर्ड की गूगल स्प्रेडशीट पर दैनिक संरक्षागतिविधि अपलोड करना, संरक्षामूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और रेलवे बोर्ड का निरीक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
- एनडीआरएफ और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ पूर्ण पैमाने पर आपदा मॉक अभ्यास के संचालन के लिए समन्वय।
- पीक्यू और आरटीआई से निपटना।
- पीसीडीओ एवं एमसीडीओ का समय पर प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करना।
- रेलवे बोर्ड/सीआरएस को मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक संरक्षारिर्तन समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।
- एमएओ में अधिकारियों और एसएफसी मुख्यालय की आवाजाही और निरीक्षण की निगरानी करना।
- सीएसओ द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

ए.ओ.एम./ संरक्षा /मुख्यालय की ड्यूटी सूची

- संरक्षाप्रतिष्ठानों का संरक्षा निरीक्षण।
- कर्मचारियों की काउंसलिंग (संरक्षासेमिनार / कार्यशाला / बैठक / प्रशिक्षण)।
- संरक्षापोस्टर, संरक्षापरिपत्र आदि की तैयारी में समन्वय करना।

- जी एंड एसआर, लेखा मैनुअल के लिए जारी / पुनर्वैधीकरण और सुधार पर्चियों की तैयारी।
- दुर्घटना से संबंधित विवरण को एसआईएमएस (रेलवे बोर्ड वेबसाइट) पर अपलोड करने के लिए संकलन।
- अंतर रेलवे संरक्षालेखा परीक्षा, अंतर रेलवे संरक्षालेखा परीक्षा, वार्षिक संरक्षानिरीक्षण के संचालन में सहायता करना।
- दुर्घटना जांच की निगरानी में सहायता करना तथा ऐसी जांच से उत्पन्न मामलों पर सिफारिशों और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुसरण करना तथा लगाए गए दंड की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।
- ट्रेनों के रखरखाव और संचालन में सुरक्षित कार्यप्रणाली के लिए सभी विभागों के साथ संपर्क में सहायता करना तथा इन क्षेत्रों में कमियों और खामियों के बारे में प्रशासन को अवगत कराना।
- संरक्षासंबंधी मामलों पर अन्य क्षेत्रीय रेलवे, रेलवे बोर्ड, सीआरएस कार्यालय के साथ संपर्क बनाए रखना।
- सीएसओ कार्यालय में दैनिक प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना।
- सीएसओ द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

ए.एस.ओ. (एस एंड टी)/एम.ए.ओ. की ड्यूटी सूची

- एस एंड टी पर विशेष जोर देने के साथ संरक्षाप्रतिष्ठानों का संरक्षानिरीक्षण।
- संरक्षालेखापरीक्षा एवं अनुपालन की निगरानी।
- संरक्षाअभियान और उस पर रिपोर्ट।
- एसडब्ल्यूआर एवं अन्य नियम पुस्तकों, टीडब्ल्यूओ, सभी नियम पुस्तिकाओं के लिए सुधार पर्चियों के जारी करने/पुनर्वैधीकरण की तैयारी
- दुर्घटना एवं पटरी से उतरने वाली जगह पर जाना।
- अंतर रेलवे संरक्षालेखा परीक्षा, अंतर रेलवे संरक्षालेखा परीक्षा, वार्षिक संरक्षानिरीक्षण के संचालन में सहायता करना।
- आपदा प्रबंधन योजना और आपदा प्रबंधन कार्यों की तैयारी और अद्यतनीकरण
- रेलवे के बाहर की एजेंसियों के साथ बातचीत।

- कर्मचारियों की काउंसलिंग (संरक्षासेमिनार / कार्यशाला / बैठक / प्रशिक्षण)।
- पोस्टर, संरक्षापरिपत्र, हैंडबुक आदि का प्रकाशन।
- बोर्ड एवं मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन।
- दुर्घटना आंकड़ों का संकलन और संरक्षापीसीडीओ एवं एमसीडीओ तैयार करना।
- संरक्षापर विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी।
- सीएसओ एवं उप सीएसओ द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

क्षेत्रीय संरक्षाअधिकारी (आरएसओ/आरएन और आरएसओ/केएडब्लूआर) की ड्यूटी सूची

- संरक्षाप्रतिष्ठानों का संरक्षानिरीक्षण।
- संरक्षालेखापरीक्षा एवं अनुपालन की निगरानी।
- संरक्षाअभियान और उस पर रिपोर्ट।
- दुर्घटना एवं पटरी से उतरने वाली जगह पर जाना।
- रेलवे से बाहर की एजेंसियों के साथ बातचीत सहित आपदा प्रबंधन कार्यों के संबंध में समन्वय।
- कर्मचारियों की परामर्श (संरक्षासेमिनार / कार्यशाला / बैठक / प्रशिक्षण)।
- आरआरएम स्तर पर शाखा अधिकारियों के साथ नियमित संरक्षाबैठक।
- दुर्घटना की जांच और सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- संरक्षासे संबंधित मामलों पर डी एंड ए आर कार्यवाही की निगरानी करना तथा दण्ड की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।
- अंतर रेलवे संरक्षाऑडिट, अंतर रेलवे संरक्षाऑडिट, वार्षिक संरक्षानिरीक्षण के संचालन में सहायता करना
- पोस्टर, संरक्षापरिपत्र, हैंडबुक आदि का प्रकाशन।
- रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन।
- पीएमई एवं रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों पर निगरानी।
- दुर्घटना आंकड़ों का संकलन और संरक्षापीसीडीओ एवं एमसीडीओ तैयार करना।
- संरक्षापर विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी।
- सीएसओ एवं आरआरएम द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।